आज शुक्रवार १२ अक्तूबर, २०१८ सौर २६ अश्विन सं. २०७५ वि.

सुभाषित *लोहेके गर्म होनेका इन्तजार न करें बल्कि अपनी तपन द्वारा इसे गर्म बनायें। यानी समयका इन्तजार नहीं, बल्कि स्वयं ऐसी कोशिश करें कि वह आपके अनुकूल हो जाये।* ❐ *विलियम बी स्प्रेग*

गंगा की अविरलता जरूरी

गंगा नदीके जलकी गुणवत्तामें सुधारके लिए उसके जलके निरन्तर प्रवाहको बहाल करने और उसे बनाये रखनेके लिए केन्द्र सरकारने गंगाके लिए न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (ई-प्रवाह) निर्धारितकर दिया है। पानीका प्रवाह नदियोंके जलकी वांछित गुणवत्ताको बरकरार रखनेकी स्वीकृत प्रवाह व्यवस्था है। इसके लिए गंगा नदीको दो हिस्सों बांटा गया है। पहला हिस्सा उत्तराखंडके देव प्रयागसे हरिद्वार और दूसरा हरिद्वारसे कानपुर-उन्नाव तक है। गंगा नदी बेसिनमें ७८४ बांध, ६६ वैराज, ९२ वीर और ४४ कार्यात्मक लिफ्ट योजनाएं संचालित हैं। केन्द्रकी अधिसूचनाके बाद सिंचाई, जल विद्युत और घरेलू या औद्योगिक उपयोगके उद्देश्यसे नदीके प्रवाहके मोड़के लिए होनेवाले किसी भी बांध या संरचनाको अब न्यूनतम तक प्रवाह बनाये रखना होगा। उत्तराखण्डके देवप्रयागसे हरिद्वार और उत्तर प्रदेशके उन्नावके बीच विभिन्न स्थानोंपर गंगाके प्रवाहकी निगरानी हर घंटे की जायेगी। इससे जुड़े आंकड़ोंकी रिपोर्टिंगके लिए केन्द्रीय जल आयोगको शीर्ष प्राधिकार एवं कस्टोडियनके रूपमें अधिकृत किया गया है। किसी भी नदीमें पानीका निर्वाध प्रवाह अपने प्राकृतिक परिस्थितिक कार्यों और प्रक्रियाओंके माध्यमसे उसे साफ रखनेके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए सन् १९१६ में पंडित मदन मोहन मालवीयने गंगाकी अविरलताके लिए ब्रिटिश सरकारसे समझौता किया था जिसे ब्रिटिश सरकारने स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन १०२ वर्ष बीत जानेके बावजूद गंगाको प्रदूषणसे मुक्त रखनेके लिए उसे अविरल नहीं किया जा सका। इस दिशामें जो कार्य हो रहे हैं वह आधे अधूरे हैं। गंगाको अविरल बनानेका सरकारका प्रयास अच्छा है पर उसे हिस्सोंमें बांटना उचित नहीं है। जबतक गोमुखसे गंगा सागरतक गंगाका समग्र प्रवाह अविरल नहीं होगा तब तक गंगाको प्रदूषण मुक्त करना संभव नहीं होगा। गंगाको आचमनके योग्य बनाने और महामनाके स्वप्नको साकार करनेके लिए सरकारको गंगा नदीको समग्र रूपमें देखना होगा। जिन पांच राज्योंसे गंगा गुजरती है वहां उनके प्रवाहको निरन्तर बनाये रखनेके लिए निगरानीकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

शेयर बाजार में कोहराम

बम्बई शेयर बाजारमें गुरुवारको बिकवालीकी आंधीसे बाजार औंधे मुंह गिर गया। संवेदी सूचकांक और निफ्टी दोनो ही दो प्रतिशतसे अधिककी गिरावटके साथ खुले। कुछ ही देरमें संवेदी सूचकांक १००० अंकसे अधिक गिर गया और निफ्टीमें भी ३०७ अंकोंकी गिरावट आयी। गुरुवारको बाजार खुलनेके साथ ही मात्र पांच मिनटमें चार लाख करोड़ रुपयेका डूबना बड़ी अप्रत्याशित घटना है। बुधवारको शेयरोंमें अवश्य कुछ सुधार हुआ था लेकिन गुरुवारका दिन अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। पिछले कई महीनोंके दौरान इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई थी। इससे बाजारमें कोहराम मच गया। निवेशकोंके होश उड़ गये। इसके पीछे एक प्रमुख कारण अमेरिकी बाजारमें बड़ी गिरावटको माना जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पने ब्याज दरें बढ़ानेकी योजनापर फेडरल रिजर्व बैंकोंको सनकी बता दिया। इससे वाल स्ट्रीटके निवेशक मायूस हो गये। रातोंरात अमेरिकी शेयरोंमें पांच प्रतिशतकी भारी गिरावट आ गयी। इसका असर एशियाई बाजारोंपर पड़ा। भारतीय शेयर बाजार भी इसकी चपेटमें आ गये। डालरके मुकाबले रुपयेके मूल्यमें रिकार्ड गिरावटके कारण भी शेयरोंमें गिरावटको बल मिल गया। विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार पूंजी निकाल रहे हैं। इससे भारतीय शेयरोंपर बिकवालीका दबाव बढ़ गया है। अक्तूबरमें मात्र सात कारोबारी सत्रमें १४ हजार ९७ करोड़ रुपये बाजारसे निकल गये। स्थिति अत्यन्त ही विषम हो गयी है। निवेशकोंका मनोबल गिर गया है। ऐसी स्थितिमें सरकारकी बड़ी भूमिकाकी जरूरत है। बाजारमें सुधारके लिए संस्थागत खरीदारी करनेके साथ ही रुपयेकी स्थितिको भी सुधारनेकी जरूरत है। खुदरा निवेशक अभी खरीदारीसे बचें। बाजार अभी अनिश्चितताके दौरमें है। इसलिए सतर्कता आवश्यक है।

लोक संवाद

चिंताजनक

महोदय,- देशमें अल्कोहलकी बढ़ती खपत चिंताका विषय है। यह आदत कम उम्रमें ही कई बीमारियोंको न्योता देती है। इनमें मुंह एवं गलेके कैंसर, लीवर सिरोसिस और दिलकी समस्याएं शामिल हैं। इसके अलावा ज्यादा मात्रामें नियमित सेवनसे दिमागको भी नुकसान पहुंचनेका अंदेशा है। मानसिक रोग विशेषज्ञ कहते हैं, लंबे अरसे तक शराबके सेवनसे पर्सनेलिटी डिसआर्डर जैसी समस्या पैदा हो सकती है। देशके कई राज्योंमें शराबबंदी लागू होनेके बावजूद लोग चोरी-छिपे पीनेका तरीका तलाश लेते हैं। शराबबंदी कानूनको कड़ाईसे लागू नहीं किया जाना इसकी प्रमुख वजह है। इसके अलावा ज्यादातर राज्योंमें १८ से लेकर २१ सालसे कम उम्रके युवकोंको शराब नहीं बेचनेका नियम है। लेकिन सरेआम इसकी धज्जियां उड़ायी जाती हैं। पुलिस भी इस मामलेमें चुप्पी साधे रहती है। सामाजिक संघटनोंका कहना है कि युवाओंमें पीनेके खतरोंके प्रति जागरूकताका भारी अभाव है। इसके लिए सरकारी और गैर-सरकारी संघटनोंको मिल कर तेजीसे जड़ें जमाती इस सामाजिक बुराईके खतरोंके प्रति, खासकर युवा तबकेको आगाह करनेके लिए जागरूकता अभियान चलाना होगा। इसके साथ ही नाबालिगोंको शराब नहीं बेचनेके कानूनी प्रावधानोंको गंभीरतासे लागू करना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो आगे चलकर युवा पीढ़ीका अपना भविष्य एवं जीवन हमेशके लिए शराबके जाममें डूब जायेगा। -एस. एम. खान, वाया ईमेल

भाजपा और कांग्रेसकी अग्निपरीक्षा

देश के पांच राज्योंमें विधानसभा चुनावकी तारीखोंके ऐलानके साथ राजनीतिक हलचल भी तेज हो गयी है। दरअसल यह अग्निपरीक्षाके ही चुनाव हैं, क्योंकि देशकी जनताको २०१९ का नेतृत्व तय करना है। लिहाजा मुद्दे गौण ही रहेंगे। सीधा समीकरण होगा-मोदी बनाम राहुल। अर्थात् 'मोदी बनाम बिखरा विपक्ष'।

❐ राजेश माहेश्वरी

देशके पांच राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभाके चुनावोंके तारीखोंकी घोषणा हो चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़में भाजपा पिछले पंद्रह सालसे और राजस्थानमें पांच सालसे सत्ता में है। इनके अलावा, तेलंगाना और मिजोरमके चुनाव इस बार अलग तेवर और करवटोंके साथ होंगे, क्योंकि उन राज्योंमें भी भाजपा अपनी उपस्थिति दर्ज करानेको उत्सुक है। यह महज विधानसभा चुनाव ही नहीं हैं, यह २०१९ के आम चुनावका पूर्वाभ्यास हैं, सेमीफाइनल हैं। यदि अग्निपरीक्षा प्रधान मंत्री मोदीके स्थापित करिश्मे और लोकप्रियताकी है तो विपक्षी चेहरेके तौरपर राहुल गांधीकी भी होगी। दरअसल यह अग्निपरीक्षाके ही चुनाव हैं, क्योंकि देशकी जनताको २०१९ का नेतृत्व तय करना है। लिहाजा मुद्दे गौण ही रहेंगे। सीधा समीकरण होगा-मोदी बनाम राहुल। मोदी बनाम बिखरा विपक्ष। यह इसलिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि विपक्षके विभिन्न दल कांग्रेससे छिटकते जा रहे हैं। ऐसेमें महागठबंधन सवालिया होता जा रहा है।

लोकसभा चुनावसे पहले राज्योंमें सफलता या विफलताका असर केन्द्रीय चुनावोंपर पड़ेगा, ऐसा दावा भरोसेके साथ नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद यह माननेमें किसीको गुरेज नहीं होना चाहिए कि यदि भाजपा इनमेंसे एक या दो राज्योंमें भी सत्ता गंवाती है तो प्रधान मंत्री मोदीके नेतृत्वमें होने वाले इन चुनावमें उसकी विफलताको विरोधी जरूर उछालेंगे। फिर लोकसभा चुनावसे पहले भाजपाके खिलाफ इसे अस्त्रके रूपमें इस्तेमाल करके विरोधी दलोंको कांग्रेसकी अगुआईमें एकजुट करनेकी कोशिश भी करेंगे।

पहले छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेशमें मायावतीकी बसपाने कांग्रेसके साथ गठबंधन करनेसे इनकार कर दिया। अब समाजवादी पार्टी भी लंबा इंतजार करके थक चुकी है। नतीजतन गठबंधनके दो प्रमुख दल कांग्रेससे अलगाव की स्थितिमें हैं। बेशक सपा-बसपाका जनाधार उत्तर प्रदेशके बाहर नगण्य रहा है, लेकिन वे कांग्रेसके परंपरागत वोट बैंकमें सेंध जरूर लगा सकते हैं। बुनियादी मुद्दा चुनावी जीत या हारका भी नहीं है। जिन पांच राज्योंमें चुनाव घोषित किये गये हैं, वहांसे कांग्रेसके हिस्से बहुत कम सांसद हैं। राहुल गांधीकी उन कोशिशोंको पलीता लग रहा है, जिनके तहत वह विपक्षको लामबंद करनेके आह्वान करते रहे हैं, प्रधान मंत्री मोदीको हरानेका एकमात्र एजेंडा पेश करते रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष इतना कटु है कि इन चुनावोंमें राहुल गांधी 'बिलकुल अकेले' हैं। कांग्रेस अकेले दमपर चुनावमें है।

विपक्षका महागठबंधन बननेका प्रयोग शुरुआतमें ही नाकाम हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पुराने मुद्दोंको ही ढोये है, जिनके आधारपर वह लगातार चुनाव हारती आयी है-१५ लाख रुपये, २ करोड़ नौकरियां, किसानोंको फसलोंके उचित दाम, दलितों-पिछड़ोंपर अत्याचार और अब राफेल विमान घोटाला आदि। हालमें कुछ सर्वे सामने आये हैं, जिनमें करीब ६०-७० फीसदी लोगोंको राफेल विमान सौदे, डालर-रुपयेकी स्थिति, नीरव मोदी-माल्या आदि मुद्दोंकी कोई जानकारी ही नहीं थी या लोगोंके सरोकार ही नहीं हैं। मध्यप्रदेशमें व्यापम घोटालेसे बड़ा मुद्दा आज भी कोई नहीं है, जिसने करीब ४०,००० लोगोंको शिकार बनाया। मंदसौरमें किसानोंपर गोलियां चलायी गयीं और कुछ मारे भी गये। बेशक जवाबदेही भाजपाकी राज्य सरकार की है। व्यापम घोटालेकी जननी जबलपुर है, लेकिन राहुल गांधी अपनी भजन मंडलीके साथ नर्मदा नदीकी आरतीमें ही मशगूल रहे। क्या ऐसे मुद्दोंपर कमोबेश मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़में कांग्रेस भाजपाको पराजित कर सकेगी? बेशक सत्ता-विरोधी लहर भाजपाके खिलाफ है।

कांग्रेसके लिए राजस्थानकी राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि २०१३ में हुए चुनावोंमें कांग्रेसको करारी मात देकर भाजपा सत्तामें आयी थी। ऐसेमें देखना यह होगा कि कांग्रेस अबकी बार राज्यमें जीत हासिल कर पायेगी या फिर इस बार भी खाता खोलनेमें विफल रह जायेगी। वहीं राजस्थानमें भाजपाको भी कई चुनौतियोंका सामना करना पड़ सकता है। पिछले दिनों जब राजस्थानमें अलवर और अजमेरमें लोकसभा चुनावोंके लिए उपचुनाव हुए तो भाजपाको इसमें करारी हार मिली थी। इसके बादसे ही लग रहा है कि भाजपामें राजस्थानमें हालात सही नहीं हैं। लेकिन चुनावोंकी तारीखें घोषित करनेसे ऐन पहले मुख्य मंत्री वसुंधराको 'किसानोंके लिए मुफ्त बिजली' की घोषणा करनी पड़ी। साफ है कि राजस्थानमें भाजपाकी स्थिति सुखद नहीं है, लेकिन भाजपाको प्रधान मंत्री मोदीका स्थापित और भरोसेमंद नेतृत्व हासिल है।

राहुल गांधीके नेतृत्वमें कांग्रेसने २०११ के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव लड़े हैं, उनमेंसे कुछको छोड़कर अधिकांशमें हारका ही सामना करना पड़ा है। इन राज्योंमें २०१३ में पिछले चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई थी। राजस्थानमें उसे २०० मेंसे केवल २५ सीटें हासिल हुई थी, जबकि भाजपा १६० सीटोंके प्रचंड बहुमतसे सत्तामें लौटी थी। मध्यप्रदेशमें २३०मेंसे कांग्रेसको मात्र ५८ सीटें प्राप्त हुई थी जबकि वहां भी भाजपाने १६५ सीटें हासिल करके दो-तिहाई बहुमत प्राप्त किया था। छत्तीसगढ़में ९० विधानसभा सीटें हैं और भाजपाने ४९ सीटें हासिल कर तीसरी बार रमन सिंहके नेतृत्वमें सरकार बनायी थी। कांग्रेसको २०१४ में हुए लोकसभा चुनावमें भी करारी शिकस्तका सामना करना पड़ा। वह मात्र ४४ लोकसभा सीटोंपर सिमट गयी। पिछले चार-साढ़े चार सालमें जितने भी राज्योंमें चुनाव हुए हैं, पंजाबको छोड़कर वह हर जगह हारी है। आज हालत यह है कि भाजपा और उसके सहयोगियोंकी केन्द्रके साथ २२ राज्योंमें सरकारें हैं और कांग्रेस चार छोटे प्रदेशोंमें सिमट गयी है।

इन चुनावमें यदि राहुलकी कोशिशें परवान नही चढ़ती हैं तो उनका लोकसभा चुनावमें विरोधी दलोंके साथ गठबंधनका सपना टूटनेमें देर नहीं लगेगी। ऐसेमें विरोधी दलोंमें यह संदेश चला जायेगा कि पंद्रह-पंद्रह सालकी 'एंटी इन्कबैंसी' का फायदा भी यदि राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं उठा पा रहे हैं तो लोकसभा चुनावमें पांच सालकी 'एंटी इनकंबैंसी' का वह क्या फायदा उठायेंगे। जहांतक भाजपाका प्रश्न है, उसे थोड़ा बहुत नुकसान राजस्थानमें होनेकी आशंका है परंतु पिछले कुछ वर्षोंमें जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें पार्टीकी सफलता सुनिश्चित करनेके लिए नरेन्द्र मोदी और अमित शाहकी जोड़ीने जिन रणनीतियोंको सिरे चढ़ाकर विरोधियोंको चित्त किया है, उसे देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि लोकसभा चुनावसे पहले वह नहीं चाहेंगे कि इनमेंसे किसी भी राज्यमें उन्हें विफलता और कांग्रेसको सफलताकी संजीवनी मिले। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थानमें काफी अर्सेसे राज्योंके चुनाव लोकसभा चुनावसे कुछ महीने पहले हो रहे हैं। इनके चुनाव नतीजे तय करेंगे कि लोकसभा चुनावमें राजनीतिक ध्रुवीकरणका रास्ता खुलेगा या बंद होगा। इन्हीं चुनावोंसे तय होगा कि विपक्षी गठबंधन बनेगा या नहीं और भाजपाको भी पता चलेगा कि उसके मुकाबले विपक्षका स्वरूप क्या होगा। सफलता जनादेश ही बतायेंगे, लेकिन भाजपा बूथ स्तरकी पार्टी है। उसका चुनाव हारना तभी संभव है, जब जनता एकदम बदलावपर आमादा हो। कांग्रेसकी कुंठाएं यहींसे स्पष्ट लग रही हैं कि उसके प्रवक्ता देशकी न्यायपालिका और चुनाव आयोग सरीखी संवैधानिक संस्थाओंपर ही संदेह भरे सवाल कर रहे हैं। लेकिन इन पांच चुनावोंकी 'अग्निपरीक्षा' ऐसी है कि उनके जनादेशके बाद ही २०१९ की बयार चलनी शुरू होगी।

तेल कीमतों में कमी के आसार नहीं

अमेरिका, जापान और यूरोपकी अर्थव्यवस्थाओंके साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था अपेक्षासे बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इससे तेलकी मांग बढ़ रही है। अमेरिकी उत्पादक भी कीमत बढ़नेके इंतजारमें कम आपूर्ति कर रहे हैं।

❐ एम. अभिजीत

नवंबर, २०१४ के बाद पहली बार इस साल मईमें कच्चे तेलकी कीमत ८० डालर प्रति बैरल पहुंच गयी थी। आंकड़े इंगित करते हैं कि अमेरिका, जापान और यूरोपकी अर्थव्यवस्थाओंके साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था अपेक्षासे बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इस कारण तेलकी मांग बढ़ रही है। फिलहाल कच्चे तेलकी कीमत ७८ डालरके आसपास है। इसका दूसरा पहलू यह है कि आपूर्तिको नियंत्रित करके रखा गया है जो कि तेल उत्पादक देशोंके संघटन (ओपेक) की योजनाके अनुरूप है। अमेरिकी उत्पादक भी कीमत और बढ़नेके इंतजारमें कम आपूर्ति कर रहे हैं। इस तरहसे अंतरराष्ट्रीय स्तरपर कीमतके उछालके कई कारक हैं। इस साल नवंबरमें ईरानपर अमेरिकी प्रतिबंध लागू होनेकी स्थितिने भी आपूर्तिके स्तरपर असर डाला है।

भारत तकरीबन १,५७५ मिलियन बैरल कच्चा तेल हर हाल आयात करता है। डालरके दाम बढ़नेसे इस आयात खर्चमें १.६ बिलियन डालर यानी दस हजार करोड़ रुपयेकी वृद्धिका अनुमान है। इसके साथ रुपयेमें गिरावटने स्थितिको और भी गंभीर बना दिया है। हालमें मुख्य आर्थिक सलाहकारने कहा है कि एक बैरल तेलकी कीमतमें दस डालरकी बढ़तसे सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की वृद्धिमें करीब ०.२ से ०.३ तककी कमी होती है और इससे चालू खाता घाटेमें नौसे दस बिलियन डालरकी वृद्धि हो जाती है। अगर हम इस समीकरणमें रुपयेमें गिरावटको जोड़ लें तो भारतमें तेलकी कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। तेलके मूल्य निर्धारणमें कथित 'डिरेगुलेशन' ने स्थितिको और भी जटिल बनाया है और भारतीय उपभोक्ताओंका बोझ बढ़ाया है। पिछले साल मईसे सरकारने तेलको डिरेगुलेट किया और उसके बादसे तेल कंपनियां लगभग रोजाना दाम बढ़ा रही हैं। हिसाब देखें तो इस साल २२ मार्च और २४ अप्रैलके बीच सात पैसे प्रतिदिनके औसतसे कीमतें बढ़ीं। कर्नाटक चुनावके दौरान २५ अप्रैलसे १३ मईके बीच बढ़त रुक गयी। फिर १४ मईसे २५ पैसे रोजानाके औसतसे कीमतें बढ़ीं। तबसे यह बढ़त जारी है। बीते दिनों पेट्रोलमें २३ पैसे और डीजलमें २२ पैसेकी वृद्धि हुई है। देशमें पेट्रोल ८०.७३ से ९० रुपये और डीजल ७२.८३ से ७८ रुपये प्रति लीटरके बीच बेचा जा रहा है। घरेलू अर्थव्यवस्थामें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल और डीजलपर भारी शुल्क लगाया जाता है। बीते चार सितंबरको पेट्रोलपर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी १९.४८रुपये और डीजलपर १५.३३ रुपये प्रति लीटर थी। कच्चे तेलकी कीमत ३५.८९ रुपये है, जबकि पेट्रोल और डीजलकी बुनियादी कीमत ३९.३४ रुपये और ४३.०३ रुपये प्रति लीटर है। बाकी दाममें केंद्रीय शुल्कके अलावा राज्योंके वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) और डीलरोंके कमीशन (पेट्रोलके लिए ३.६३ रुपये और डीजलके लिए २.५३ रुपये प्रति लीटर) शामिल हैं। इस तरहसे दिल्लीमें ग्राहकको पेट्रोलमें लगभग ४५ प्रतिशत और डीजलमें ३६ प्रतिशत टैक्सके रूपमें देना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजारमें तेलकी कीमत बढ़ने और रुपयेकी कीमत घटनेका हवाला देकर पेट्रोल और डीजलकी कीमतें बढ़ायी जा रही हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारमें तेल महंगा है और रुपयेमें भी गिरावट जारी है। लेकिन यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि २०११ और २०१४ के बीच कच्चे तेलकी कीमत सौ डालर प्रति बैरलसे ज्यादा ही रही, फिर भी घरेलू बाजारमें आज तेल तबकी तुलनामें बहुत महंगा है। इसका सबसे बड़ा कारण केंद्र और राज्यकी सरकारों द्वारा लगाया जानेवाला शुल्क है। इसलिए इन शुल्कोंमें कुछ कटौती करके महंगे तेलके बोझसे कुछ राहत दी जा सकती है। लेकिन यह भी है कि इन शुल्कोंसे भारी राजस्व प्राप्त होता है। फिलहाल सिर्फ राजस्थान और आंध्रप्रदेशकी सरकारोंने कुछ कमी की है। यह भी संयोग है कि इन दोनों ही राज्योंमें चुनाव होनेवाले हैं और पर्यवेक्षकोंकी मानें तो इस कटौतीका यह एक कारण हो सकता है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरेमें तेल नहीं आता है और इस कारण यह कुछ गिने-चुने उत्पादोंमें है जिनसे राज्य सरकारें अपने लिए कुछ आमदनी जुटा सकती हैं। इसी वजहसे अलग-अलग राज्योंमें लगाये गये शुल्क अलग-अलग हैं। चूंकि कुछ समयसे वैट और जीएसटीके कारण कर-संग्रह ज्यादा केंद्रीय होता जा रहा है। ऐसेमें राज्योंके पास राजस्व जुटानेके कम रास्ते हैं। तात्कालिक रूपसे सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगोंको पेट्रोल और डीजलकी लगातार बढ़ती कीमतोंसे राहत कैसे दी जाये। इसके लिए केंद्र और राज्यके स्तरपर करोंमें कटौती करना तो जरूरी है ही, साथ ही अर्थव्यवस्थामें उन कारकोंपर भी नियंत्रणके प्रयास किये जाने चाहिए जिनके चलते कीमतोंमें उछालकी स्थिति बनती है। लेकिन इस संबंधमें केंद्र और राज्य सरकारोंकी उदासीनताकी परिपाटीको देखते हुए निकट भविष्यमें इस बातकी कम ही संभावना है कि शुल्कोंमें कोई उल्लेखनीय कटौती की जायेगी। ऐसेमें देश की आम जनतापर कई स्तरोंपर महंगीके बोझके लगातार बढ़ते जानेकी आशंका बनी ही हुई है।

आत्मबोध

अभिमान

❐ डा. गदाधर त्रिपाठी

नराम कथामें रामचरित मानसके विविध प्रसंगोंपर व्याख्याताओं द्वारा मनोरम कथा कही जा रही थी और अनेक श्रोताअपनी.अपनी इच्छा से उस मंच को इसलिए आर्थिक सहयोग कर रहे थे जिससे वह मंच सुचारुरूप से चलता रहे।मंच संचालन का दायित्व जो लिए थेएवे बीच.बीच में आर्थिक सह.योग करने वालों के नाम की घोषणा करते जाते थे और सहयोग करने के लिए उन सबका धन्यवाद भी करते थे।उसी समय कर्यक्रम की समाप्ति एक सज्जन मंच संचालक के पास आकर कहने लगे कि आज मैंने इस मंच के सहयोग के लिए एक निश्चित मात्रा में आपको कछ धनराशि दी थी किन्तु आपने अन्य धन देने वालों का नाम तो बोला किन्तु मेरा नाम आपने नहीं बोला।आपके इस व्यवहार से मुझे कष्ट हुआ है। मंच संचालक को अपनी भूल समझ में आई और उन्होंने ब ? विनम्र भाव से कहा कि यह मेरी असावधानी है और कल मै छूटा हुआ नाम बोल कर इस भूल को सुधार लूॅगा। सामान्यत: देखा जाए तो यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया किन्तु ऐसा है नहींयक्योंकि इस प्रकरण से एक यह जिज्ञासा जाग्रत हुई कि उस दान दाता के मन में वास्तव में उस मंच के संचालन में सहयोग करने का भाव थाअथवा कुछ धन देकर अपना बुलवा कर यश पाने इच्छा सहित अपने मन में वसे हुए अहंकार को तृप्त कर लेने का भाव था। यथार्थ मेंसावधानी से देखने पर हम यह अनुभव कर सकते हैं कि उस दानदाता के मन में कुछ धन देकर भले ही मंच का सहयोग करने की इच्छा रही होकिन्तु उसकी यह इच्छा प्रबल थी कि उसका नाम बोला जाय और उसका यशोगान किया जाए। भारतीय शास्त्र परम्परा में उत्तमएमध्यम औरअधमरूप सेदान के तीन रूप कहे गए हैं। जहॉ पर किसी सुपात्र को देखकर देश और काल का विचार करके विना किसी अपेक्षाके श्रद्धा पूर्वक दान दिया जाता है और जब उससे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होयसात्विक दान होता है।जबदान यश आदिकी प्राप्ति के लिए होता हैयतब दान मध्यम होता है। अंर जब पद.प्राप्ति अथवा धन. प्राप्ति कै लिए दान होता है वह तो वह अधम दान कहा जाता है। यद्यपि गोस्वामीजी का का यह मत है किसी भी प्रकार से किया गया दान कल्याण करता हैयतथापि अपने अहंकार की पूर्ति के लिए किया गया दान कल्याण का हेतु नहीं होता।

न्यायालय के फैसले से आहत भारतीयता

❐ डा. अर्पण जैन

तमाम आर्थिक, राजनीतिक या वैश्विक संकटोंके बावजूद भी यदि भारत अपने अस्तित्वको लेकर अडिग रहा तो इसके पीछे केवल भारतकी वैज्ञानिक संस्कृति ही रही है। भारतकी वेदमयी संस्कृतिमें भविष्यके तयबद्ध न्यायिक फैसलोंको चुनौती देनेका तार्किक आधार है। इन्ही कारणोंसे भारत वर्तमानमें भी अपने सांस्कृतिक परिवेशमें सबसे सुदृढ़ बना हुआ है। विश्वके महान नाटककार एवं कुशल राजनीतिज्ञ मानवतावादी व्यक्तित्व जार्ज बर्नार्ड शाने भारतीय संस्कृतिके बारेमें लिखते है कि 'भारतीय जीवनशैली प्राकृतिक और असली जीवनशैलीकी दृष्टि देती है। हम खुदको अप्राकृतिक मास्कसे ढंक कर रखते हैं। भारतके चेहरेपर मौजूद हल्के निशान रचयिताके हाथोंके निशान हैं।' अब इन शब्दोंमें ही भारतीयका मूल छिपा है। मुद्दोंकी राजनीतिके चलते न्याय व्यवस्थासे मंदिरसे संस्कृतिपर हो रहे हमलेने चिंताकी लकीरें खींचना भी आरंभ कर दी है जो जनमानसके लिए भी परेशानीको बनती जा रही है। जनमानसके मस्तिष्कमें संस्कारशालाओंके प्रति उदासीनता भी दिखा रही है क्योंकि जिन चीजोंको हमारे संस्कार वर्जित या त्याज्य मानते थे आज वह न्यायिक दृष्टिसे सही कैसे माने जाने लगे है। जिस संस्कृतिके मूलमें शून्य या कहे वैज्ञानिकताका आधार समाहित हो, जहांकी मातृभाषा हिन्दी अपने संपूर्ण कोषालयमें समृद्ध शब्द और वैज्ञानिक तर्क रखती हो, जिसमें अक्षरके उच्चारण मात्रसे शरीरके अंगोंका क्रियान्वन सम्मिलित होता हो, जिस राष्ट्रके देवता भी अपने विशिष्ट रूपके लिए ही नहीं अपितु आधारगत समाधानके लिए विख्यात हो, जिस देशकी धार्मिक क्रियाओं, हवनों, पूजा परिपाटियोंमें वातावरणकी शुद्धता और सकारात्मकता निहित हो, ऐसे राष्ट्रकी संकल्पना और तथ्यात्मकताको चुनौती देते हुए न्यायिक फैसले आना निश्चिततौरपर किसी साजिशके तहत राष्ट्रकी अखंडता और अक्षुण्णताको समाप्त करनेका कुत्सित प्रयास माना जायेगा। भारतीय संस्कृतिकी सहिष्णु प्रकृतिने उसे दीर्घ आयु और स्थायित्व प्रदान किया है। संसारकी किसी भी संस्कृतिमें शायद ही इतनी सहनशीलता हो, जितनी भारतीय संस्कृतिमें है। भारतीय संस्कृतिके इस लचीले स्वरूपमें जब भी जड़ताकी स्थिति निर्मित हुई तब किसी न किसी महापुरुषने इसे गतिशीलता प्रदान कर इसकी सहिष्णुताको एक नयी आभासे मंडित कर दिया।

विगत दिनों भारतकी न्यायिक मंदिरसे कुछ फैसले आये जिनमें सर्वोच्च न्यायालयने कहा कि वह समलैंगिक सेक्सको अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिताकी धारा ३७७ पर पुनर्विचार करेगा। अदालतने यह आदेश दस अलग-अलग याचिकाकर्ताओंकी याचिकाओंपर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि आईपीसीकी धारा ३७७ अनुच्छेद २१ (जीने का अधिकार) और अनुच्छेद १४ (समानताका अधिकार) का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालयने इससे पहले अपने एक आदेशमें दिल्ली उच्च न्यायालयके समलैंगिकताको अपराधकी श्रेणीसे बाहर करनेके फैसलेके विरुद्ध फैसला सुनाया था। इस मामलेको बड़ी पीठके पास भेजते हुए न्यायालयने कहा कि 'जो किसीके लिए प्राकृतिक है वह हो सकता है कि किसी अन्यके लिए प्राकृतिक न हो।' लेकिन सभीको अनुच्छेद २१ के तहत जीनेके अधिकारके तहत कानूनके दायरेमें रहनेका अधिकार है। आखिर क्या न्यायालय इस बातसे वाकिफ है कि इस तरहके समलैंगिक संबंध न तो चिकित्सा विज्ञानकी दृष्टिसे उपयुक्त है, न ही भारतकी धार्मिक संरचनाके अनुरूप। यदि इसपर भी न्यायालयने अपराध न माननेके पीछे अनुच्छेद २१ (जीनेका अधिकार) और अनुच्छेद १४ (समानताका अधिकार) का आधार बनाया है तो सवाल उठता है कि कैसे यह फैसला भारतके सामयिक सांस्कृतिक चिंतन और धर्मसत्ताके सम्मानमें है? समलैंगिकताको हमारे यहां अप्राकृतिक यौन अपराधोंमें शामिल किया गया है। तदुपरांत भी समलैंगिकतापर न्यायालयकी चिंता भारतकी धर्म सत्ताका विखंडन ही माना जायेगा। पाश्चात्य संस्कृतिके अलोकमें समलैंगिकताको विधिसम्मत तो कर दिया, पर क्या समाज प्रायोगिक रूपसे उन समलैंगिक जोड़ोंको स्वीकार कर पायेगा? कदापि नहीं। न्यायालयका निर्णय पुनर्विचारके योग्य है।

इसी तरह दूसरा मामला आया जिसमें धारा ४९७ के आधारपर एक महिला, जिसके साथ पुरुषके संबंध रहे है उसे भी दूसरी पत्नीका अधिकार मिलेगा। सोशल मीडिया फेसबुकपर अपनी वैवाहिक जीवन साथीकी सही जानकारी छिपाकर नयी महिला मित्रोंके साथ यौन शोषण करने वालोंके लिए अदालतका यह फैसला खतरनाक साबित हो सकता है। हिन्दू मैरिज एक्टमें एक पत्नीके होते दूसरीको इस तरह रखनेकी इजाजत नहीं है। इस तरहका मामला संज्ञानमें आनेपर पुलिसको अपनी तरफसे जांच कर कार्रवाई करनेका अधिकार है। परंतु सर्वोच्च न्यायालयमें वर्ष २०१४ में एक बादशाह विरुद्ध उर्मिला प्रकरणमें हुए निर्णयके अनुसार दूसरी महिलाको वैधानिक पत्नीका अधिकार दिया गया है। व्यक्ति द्वारा किसी महिलासे पूर्व विवाहकी बात छिपाकर किसी अन्य स्त्रीसे विवाह कर लेनेपर कानूनने पतिपर भा.द.वी. धारा ४९३ ,४९४ और ४९५ के तहत सजाका प्रावधान है।

क्या समाज दोनों पत्नियोंको सामान अधिकार दे पायेगा? यह तो उस स्त्रीके साथ भी छल ही होगा जिसे न्यायालयने दूसरी पत्नीका अधिकार दिया। तर्क मान भी लिये जाये तब भी एक स्त्रीकी निजताका हनन स्वाभाविक है। ऐसेमें कानूनने किसीके साथ बनाये विवाहेत्तर संबंधोंको स्वीकार करना भारतकी सांस्कृतिक अखंडता और परिचालनपर हमला ही है। भारतकी अपराध दंड संहिता यानी आईपीसी लिखने वाले लार्ड बैबिंगटन मैकाले चाहते थे कि विवाह संबंधमें यदि पत्नी और किसी 'अन्य' के बीच संबंध बन जायें तो इसे अपराध न माना जाये। आईपीसी बननेसे पहले देशमें नागरिकोंके लिए कोई लिखित कानून नहीं था और परंपरासे न्याय होता था। जब मैकालेके सामने विवाह संबंधी अपराधोंको शब्दोंमें व्याख्या करनेकी बारी आयी तो उनके सामने यह प्रश्न आया कि पत्नीके साथ किसी बाहरी व्यक्तिके संबंध यानी व्याभिचारको अपराध माना जाये या नहीं। मैकालेने भारतके अपने सीमित अनुभवोंके आधारपर माना कि जब कोई किसीकी पत्नीको भगा ले जाता है या उसके साथ संबंध बनाता है तो यह दंडनीय अपराध नहीं है। मैकालेने पाया कि ज्यादातर मामलोंमें पीड़ित पक्ष यानी पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसे वापस मिल जाये या फिर उसे इसका आर्थिक मुआवजा मिले। मैकालेकी चलती तो आईपीसीमें व्याभिचारको दीवानी मामला माना जाता और रुपये-पैसेके आधारपर फैसले होते। मैकालेकी इस मामलेमें नहीं चली और व्याभिचारको आईपीसीमें अपराध मान लिया गया और भारतीय कानूनोंमें धारा ४९७ जुड़ गायी। व्याभिचारसे संबंधित आईपीसीकी धारा ४९७ में यह प्रावधान है कि यदि कोई पुरुष किसी विवाहिता स्त्रीसे, बिना पत्नीकी सहमतिसे, यौन संबंध बनाता है तो उस पुरुषको पांच सालतककी कैदकी सजा या आर्थिक दंड या दोनोंकी सजा हो सकती है। इस मामलेमें पत्नीको अपराधमें हिस्सेदार नहीं माना जायेगा। व्याभिचारसे संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसीमें यह प्रावधान है कि पत्नीको यह अधिकार नहीं है कि वह व्याभिचारी पतिपर व्याभिचारका आरोप लगा सके। ऐसा करनेका अधिकार सिर्फ पतिको है। भारत ही नहीं, सारी दुनियामें जहां भी बलात्कारके कानून हैं, उसके पीछे एक ही तार्किक सोच काम करती है, जिसमें विवाह मान्यताको बाहरी पुरुषके दखलसे बचाया जाये ताकि होने वाली संतानकी रक्तकी शुचिता कायम रहे यानी यह पता होना चाहिए कि बच्चेका पिता कौन है। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पिताकी विरासत और पैतृक जायदाद बेटेको ही जा रही है। यह एक तरहसे परिवारकी पारंपरिक व्यवस्थाको बचाये रखनेकी जुगत है। इसलिए विवाह संस्थाके अंदर पतिके व्याभिचारी होनेको व्याभिचार कानूनके दायरेमें नहीं रखा गया है। व्याभिचार अंग्रेजीके जिस शब्द 'एडल्टरी' से आया है, उसका अर्थ ही मिलावट है। इस संदर्भमें यह 'खूनमें मिलावट' का अर्थ ग्रहण करता है। इस कानूनकी भाषा इस तरह लिखी गयी है, मानो महिला किसी पुरुषकी संपत्ति है और जब कोई बाहरी पुरुष उस संपत्तिको ले जाता है तो उसे दंडित किया जायेगा। हमारी भारतीय संस्कृतिमें संबंधोंको जायज न ठहरनेके पीछे कई वैज्ञानिक आधार भी है जैसे कि रक्त संबंध। न्यायिकताके द्वारा भारतीयताको प्रभावित करना पतनके नये अध्यादेश ही बनाना माना जायेगा। विरोध होना चाहिए वरना मौन स्वीकृतिसे भारतका सांस्कृतिक पतन होना तय है।